न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 15/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. श्री सावलिया पुत्र पुन्या राम जाति कोली निवासी सायपुर पाखर थाना मण्डावर जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री सावलिया पुत्र पुन्या राम जाति कोली – गैर सायल ।

–: निर्णय :– दिनांकः– 31.10.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा गैर सायल श्री सावलिया पुत्र पुन्या राम जाति कोली निवासी सायपुर पाखर थाना मण्डावर जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ–सट्टा करने एवं कराने तथा अवैध रूप से शराब बेचने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरूद्ध थाना मण्डावर में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है तथा जैर ट्रायल है–

क्र.स.	मु.न.	दिनांक	धारा	चार्जशीट नं.	दिनांक	फैसला
1	43/06	19.3.15	13 आरपीजीओ	30/06	22.3.06	सजा 250 रु जुर्माना
2	78/07	13.5.07	13 आरपीजीओ	48/07	16.5.07	सजा 100 रु जुर्माना
3	266/13	13.11.13	19/54 आब.अधि	124/13	27.11.13	सजा 300 रु जुर्माना
4	61/14	24.3.14	19/54 आब.अधि	40/14	13.4.15	जैर ट्रायल
5	60/15	2.4.15	19/54 आब.अधि	36/15	21.4.15	जैर ट्रायल
6	176/15	5.8.15	19/54 आब.अधि	156/15	9.9.15	जैर ट्रायल
7	177/15	6.8.15	420 भादस	183/15	29.9.15	जैर ट्रायल
8	55/16	11.4.16	19/54 आब.अधि	44/16	27.4.16	जैर ट्रायल
9	77/16	13.5.16	19/54 आब.अधि	59/16	27.5.16	जैर ट्रायल

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 15/2016, गुण्डा एक्ट

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना मण्डावर की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा नौ बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र मण्डावर में जुआ–सट्टा कर एवं क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचकर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा तथा क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री सावलिया पुत्र पुन्या राम जाति कोली निवासी सायपुर पाखर थाना मण्डावर जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ–सट्टा एवं अवैध रूप से शराब बेचने के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। विधानसभा आम चुनाव 2018 को ध्यान में रखते हुए, कस्बा सायपुर पाखर थाना मण्डावर में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित प्रकरणो में से तीन प्रकरणो का निस्तारण हो चुका है एवं छः प्रकरणो का निस्तारण होना शेष है। जो बहुत पुराने है। प्रार्थी बहुत ही गरीब हैं जो अब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के खिलाफ नौ प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें तीन प्रकरणों में सजा हुई है तथा छः प्रकरण निस्तारण से शेष है। जिनमें गैर सायल उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं विधानसभा आम चुनाव 2018 को ध्यान में रखते हुए समाज में सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा माहौल को खराब नहीं कर सके।

अतः उक्त विवेचनानुसार गैर सायल श्री सावलिया पुत्र पुन्या राम जाति कोली निवासी सायपुर पाखर थाना मण्डावर जिला दौसा, को दिनांक 1.11.2018 से 15.12.2018 तक 45 दिवस की समयावधि के लिए थाना मण्डावर जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना लालसोट जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र लालसोट में निवास करते हुए थानाधिकारी लालसोट को उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थानाधिकारी थाना लालसोट जिला दौसा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। सम्बन्धित को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official